

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 17 सं. 671 दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2013/वैशाख 3, 1935 DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2013/VAISAKHA 3, 1935 No. 67]

[N.C.T.D. No. 17

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसुचना

दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

सं. फा. 23(2)/डीई/आरटीई/2011-12/570-584.—दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 2 के उप-नियम 1 के खंड (;) के अनुसरण में दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 तथा इसके अन्तर्गत बनायी गई नियमावली के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्राधिकरणों को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में अधिसुचित करते हैं, अर्थात् :--

- (क) सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, सरकार:
- (ख) किसी नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, ऐसा नगर निगम:
- (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, यह परिषद:
- (घ) दिल्ली छावनी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन के संदर्भ में, यह बोर्ड ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया (आईएएस), अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd April, 2013

No. F. 23(2)/DE/RTE/2011-12/570-584.-In pursuance of clause (i) of sub-rule 1 of rule 2 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 the Liutenant Governor of Delhi hereby notify the following authorities as the Local Authority for the purpose of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and rules made thereunder, namely :-

- In relation to school under administrative control of the Government, the Government;
- In relation to school under administrative (b) control of any Municipal Corporation, such Municipal Corporation;
- In relation to school under administrative control of New Delhi Municipal Council, that Council;
- In relation to school under administrative control of Delhi Cantonment Board, that Board.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

> Dr. MADHU RANI TEOTIA (IAS), Addl. Secy. (Education)

1648 DG/2013